

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर
क्रमांक :- ई-18/एम/(परिवीक्षा-1)/2018/ दिनांक :

आदेश

निम्नलिखित कनिष्ठ सहायकों को उनके परिवीक्षा अवधि सन्तोषप्रद पूर्ण करने के फलस्वरूप राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के नियम 41 के तहत वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.15(1)एफडी/रूल्स/2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 की अनुपालना में दो वर्ष की परिवीक्षाकाल पूर्ण तिथि से 20800(लेवल 5) उनके नाम के सम्मुख अंकितानुसार वेतन नियतन किया जाता है:-

क.स.	नाम कर्मचारी	पदस्थापन स्थान	प्रथम नियुक्ति तिथि	2 वर्ष पश्चात परिवीक्षा पूर्ण करने पर वेतन नियतन तिथि	कम्प्यूटर योग्यता आरएससी आईटी प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण तिथि
1	श्री हिमांशु मंदार, कनिष्ठ सहायक	कनिष्ठ विशेषज्ञ प्रभाषी सेटेलाईट अस्पताल, प्रतापनगर, जोधपुर।	05.11.2014	05.11.2016	15.01.2015
2	श्री रवि कुमार रोंत, कनिष्ठ सहायक	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सामान्य चिकित्सालय, डूंगरपुर।	09.09.2015	09.09.2017	16.03.2015

नोट: वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.15(1)एफडी/रूल्स/2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार उक्त कर्मचारियों को वेतन नियतन का लाभ देय होगा एवं टंकण परीक्षा उत्तीर्ण तिथि से वार्षिक वेतन वृद्धि का नकद लाभ देय होगा।

Sr. L. —
(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0 जयपुर

दिनांक : 24/09/18

क्रमांक :- ई-18/एम/(परिवीक्षा-1)/2018/2758

प्रतिलिपि निम्न को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
2. कनिष्ठ विशेषज्ञ प्रभाषी, सेटेलाईट अस्पताल, प्रतापनगर, जोधपुर।
3. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सामान्य चिकित्सालय, डूंगरपुर।
4. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. प्रभाषी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करे।
6. आदेश/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0 जयपुर